रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, सोमवार सितम्बर 3, 1973/भाद्र 12 1895
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 1973 / BHADRA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 3rd September 1973

G.S.R. 419(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Minera Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) in S. No. 4, in item (a), for sub-item (i), the following sub-items shall be substituted, namely:—

2	3
"(i) BOC Lub 40 produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.	Rs. 460.60 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(iA) BOC Lub 50 produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.	Rs. 693.69 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.";

(b) in S. No. 10,—

(i) for items (a) and (b), the following items shall be substituted, namely:—

2	3
"(a) Base Mineral Oils produced wholly from indigenous crude oil or partly of indigenous crude oil and partly of imported crude oil (in which not less than 60% of the total throughput consists of indigenous crude oil on a half yearly basis) or their derivatives and intended for use in the manufacture of lubricating oils and lubricating greases.	Rs. 753·00 per metric tonne
(b) Lubricating oils and lubricating greases produced wholly from indigenous crude oil or partly of indigenous crude oil and partly of imported crude oil (in which not less than 60% of the total throughput consists of indigenous crude oil on a half yearly basis) or their derivatives.	Rs. 753·00 per metric tonne.";

(ii) in items (c) and (d), the words "or partly", wherever they occur, shall be omitted;

(c) the following 'Explanation' shall be added at the end, namely—

"*Explanation*:—In this notification, the expression "half-yearly" means a period of six months commencing on the 1st January and ending with the 30th June, or a period of six months commencing from the 1st July and ending with the 31st December in a year but the first half-year for the year 1973 shall be the period commencing from the 1st September, 1973 and ending with the 31st December 1973."

[No. 173/73-F. No. 83/3/73CX.3]

K. VISHWANATHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 419 (अ).—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा

विभाग) की अधिसूचना सं० 199/66--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1966, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में ,--

(क) क्रम सं० 4 की मद (क) में, उपमद (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएंगी, अर्थात् :--

2	3
"(i) पूर्णतः देशी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित बी ओ सी स्नेहक--40	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 460.60 रु० प्रति किलोलीटर।
(ia) पूर्णतः देशी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित बी ओ सी स्नेहक--50	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 693.60 रु० प्रति किलोलीटर।" ;

(ख) क्रम सं० 10 में, --

(i) मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :--

2	3
"(क) पूर्णतः देशी कच्चे तेल से या भागतः देशी कच्चे तेल और भागतः आयात किए गए कच्चे तेल (जिसमें अर्ध-वार्षिक आधार पर कुल प्रक्रिया मात्रा के 60 प्रतिशत से अन्यून देशी कच्चा तेल हो) या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित और स्नेहक तेलों और स्नेहक ग्रीसों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित आधारी खनिज तेल।	753·00 रु० प्रति मीटरी टन।
(ख) पूर्णतः देशी कच्चे तेल से या भागतः देशी कच्चे तेल और भागतः आयात किए गए कच्चे तेल से (जिसमें अर्द्ध वार्षिक आधार पर कुल प्रक्रिया मात्रा के 60 प्रतिशत से अन्यून देशी कच्चा तेल हो) या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीसें।	753.00 रु० प्रति मीटरी टन।

(ii) मद (ग) और (घ) में "या भागतः" शब्दों का जहां कहीं भी वे आए हों, लोप कर दिया जाएगा ;

(ग) अन्त में निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"**स्पष्टीकरण** :—इस अधिसूचना में, "अर्द्ध-वार्षिक" अभिव्यक्ति से एक वर्ष में 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली और 30 जून को समाप्त होने वाली छः मास की अवधि या 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, को समाप्त होने वाली छः मास की अवधि अभिप्रेत है किन्तु वर्ष 1973 के लिए पहला अर्द्ध-वर्ष 1 सितम्बर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि होगी ।"

[सं० 173/73–फा० सं० 83/3/73—के० उ० शु०–3]

के० विश्वनाथन,
अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973